न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबूलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 94/2019 **{RCMS 2019/00153}**

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. ज्ञानदीप एजूकेशन सोसायटी जयपुर जरिये अध्यक्ष विशपओसवाल्ड लुईस जाति ईसाई निवासी घाटगेट जयपुर

दावा :– अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– राज पैरोकार तहसीलदार कुचामनसिटी।

निर्णय

दिनॉक :– 11.10.2021

प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि जमाबन्दी नकल सम्वत 2074–2077 अनुसार ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 162 रकबा 0.81 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, प्रतिवादी ने उक्त खसरा की भूमि में बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के स्कूल का निर्माण कर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है, वादी के पास इस आशय की सूचना दी है कि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि में कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है, पटवारी हल्का आनन्दपुरा ने पेश की, जिस पर प्रतिवादी को वादी द्वारा नोटिस दिया गया, परन्तु प्रतिवादी कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित किये जाने की विहित प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत करने में असफल रहा है, प्रतिवादी को उक्त कृषि भूमि को विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अकृषि उपयोग करने का अधिकार नहीं है, बिनाय दावा दिनॉक 03.01.2019 को वादी के पास विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 90 R.L.R.Act सं. 10/2019 प्रस्तुत होने पर उत्पन्न हुआ है, वादी की इस्तदुआ है कि प्रतिवादी ने बिना विहित प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है अतः ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 162 रकबा 0.81 हैक्टर किस्म बारानी को प्रतिवादी को बेदखल किये जाकर सरकारी खाते में दर्ज किये जाने के आदेश कर मुझ वादी को कब्जा सुपुर्द किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जरिये एक बार स्याहा सम्मन जारी कर तलबी की गई, दिनॉक 27.02.2020 दैनिक नवज्योति अंक के पृष्ठ सं. 9 पर सम्मन प्रकाशित होकर प्रति शामिल मिसल की गई, प्रतिवादी को आवाज लगाई गई, जो अनुपस्थित रहे जिससे प्रतिवादी के विरुद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी नकल सम्वत 2074–2077 की नकल प्रस्तुत की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:20:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रकरण में राज पैरोकार की बहस सुनी गई, जिन्होने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त भूमि को राजकीय दर्ज कर कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश हेतु निवेदन किया। रिपोर्ट 90 ए कार्यवाही अनुसार ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 162 रकबा 0.81 हैक्टर किस्म बारानी में प्रतिवादी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी अनुज्ञा प्राप्त किये स्कूल का निर्माण कर कृषि भूमिं को अकृषि प्रयोजन काम में लिया है, जमाबंदी नकल सम्वत 2075–77 अनुसार निम्नवत प्रविष्टि दर्ज है :—

ग्राम का नाम :- राणासर	अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- आनन्दपुरा	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- जिलिया	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 96
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 53

काश्तकार का नामः-

1. ज्ञानदीप एजुकेशन सोसायटी जयपुर जरिये अध्यक्ष विशपओसवाल्ड लुईस पुत्र जेवियर लुईस जाति इसाई सा. घाटगेट जयपुर हिस्सा- पूर्ण खातेदार अ.विव.- ज्ञानदीप एजुकेशन सोसायटी जयपुर जरिये अध्यक्ष विशपओसवाल्ड,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
162	0.8100	बारानी 2	0.8100	3.24			
कुल खसरे - 1	0.8100		0.8100	3.2400			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

प्रश्नगत ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 162 रकबा 0.81 हैक्टर किस्म बारानी प्रतिवादी के नाम दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी का अनुपस्थित रहना ही अपने आप में साबित है कि प्रश्नगत भूमि में उपरोक्त भूमि को बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये अकृषि प्रयोजन प्रयोग में लिया है तथा स्कूल का निर्माण कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्त भूमि राजकीय दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने हेतु वाद डिक्री पाया गया।

आदेश

ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 162 रकबा 0.81 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय भूमि (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहाँ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) को राजकीय खाते में दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

आदेश आज दिनॉक 11.10.20... को भरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:20:34 IST
Reason: SelfAttested

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम : **कुचामन सिटी**

बइजलास : **बाबूलाल जाट (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या 94/2019 **{RCMS 2019/00153}**

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. ज्ञानदीप एजूकेशन सोसायटी जयपुर जरिये अध्यक्ष विशपओसवाल्ड लुईस जाति ईसाई निवासी घाटगेट जयपुर।

दावा :– **अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू राज पैरोकार हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 162 रकबा 0.81 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय भूमि (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहाँ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) को राजकीय खाते में दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक को 11.10.2021 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तखत..............................

ओहदा.............................(मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीक का जो के डिगारी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:20:34 IST
Reason: SelfAttested